

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2013—श्रावण 23, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1) 1001.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के संविधान की धारा 164 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों को मंत्री तथा राज्यमंत्री नियुक्त किया है :—

मंत्री

1. श्री कुंवर विजय शाह
2. श्री अन्तर सिंह आर्य

राज्य मंत्री

1. श्री रामदयाल अहिरवार
2. श्री दशरथ सिंह लोधी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा नियुक्त उक्त मंत्रियों एवं राज्यमंत्रियों ने संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (3) के अनुसार आज सांयकाल पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपने पद ग्रहण किए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1) 1002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1) 1001, दिनांक 14 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 14th August 2013

No. F. A. 3-34-2008-I (i) 1001.—The Governor of Madhya Pradesh, on the advice of the Chief Minister, under Article 164 of the Constitution of India, has been pleased to appoint the following as Ministers and Ministers of State :—

MINISTERS

1. Shri Kunwar Vijay Shah
2. Shri Antar Singh Arya

MINISTERS OF STATE

1. Shri Ramdayal Ahirwar
2. Shri Dashrath Singh Lodhi

The above mentioned Ministers and Ministers of State appointed by the Governor took oaths of Office and of Secrecy as required under clause (3) of Article 164 of the Constitution and entered upon their offices today in the evening.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. PARASURAM, Chief Secy.